

सं० सं० 14/एम 11-2/17 (खंड)

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ,-226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.11.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मनवीर कुमार पिता-राजेश कुमार ग्राम-बाकरगंज पो०-बांकीपुर थाना-कदमकुंआ जिला-पटना सीआरनं०-2017946693	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	सुरसती देवी पति-डोमा राम ग्राम-डीह बेलही पो०-बेलही खास थाना-कटेया जिला-गोपालगंज सीआरनं०-2017801392	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	अफसाना खातुन पति-आस महमद अंसारी ग्राम-फखरुद्दीनपुर पो०-दिनदयालपुर थाना-जी०वी०नगर जिला-सीवान सीआरनं०-2017850375	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	सुनील कुमार सिंह पिता-रामचेला सिंह ग्राम-कोतवाली पो०+थाना-जगदीशपुर जिला-भोजपुर सीआरनं०-2012622615	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000 /-(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।

82

5	अनुराग द्विवेदी पिता-अन्तोष कुमार द्विवेदी ग्राम-जजवलीया पो0-बाजुडीह थाना-विजयीपुर जिला-गोपालगंज सीआरनं0-2007256010	किडनी रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
6	कामिनी देवी पति-शंभु झा ग्राम-पो0+थाना-सिंहवारा जिला-दरभंगा सीआरनं0-2017502581	पेट रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
7	करण कुमार पिता-शैलेन्द्र सिंह ग्राम-भीमपुरवा पो0-काशी टेंगराही थाना-'बैकुंठपुर जिला-गोपालगंज सीआरनं0-2017265043	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
8	सुशीला देवी पति-ललन राम ग्राम-बकुचीया पो0-पुरैना थाना-श्निचरी जिला-प0 चंपारण सी0आर0नं0-2017544190	स्पाईनल रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
9	शांति देवी पति-विशुनदेव राय ग्राम-बतरौलिया पो0-बाजीतपुर थाना-पारू जिला-मुजफ्फरपुर सी0आर0नं0-2007270412	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
10	राजकुमारी देवी पति-सत्यनारायण साह ग्राम-गौधी नगर पो0+थाना-बगहा जिला-प0 चंपारण सी0आर0नं0-2017837131	पेट रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
11	अनीता देवी पति-बिरेन्द्र साव ग्राम-बड़ी बगीचा नरगदा पो0-जमसौत थाना-साहपुर जिला-पटना सी0आर0नं0-2017766468	पेनक्रियाज रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

12	शान्ति देवी पिता-श्रीकान्त सिंह ग्राम-पो0-भदसेनी थाना-हिसुआ जिला-नवादा सी0आर0नं0-2017965718	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
13	सुरज कुमार पिता-संजय राय ग्राम-श्याम नगर धवौली पो0-धवौली थाना-मुफसील जिला-वेगुसराय सी0आर0नं0-2017815806	किडनी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
14	कन्हैया वर्मा पिता-बुटन वर्मा ग्राम-पो0+थाना-ब्रहमापुर जिला-बक्सर सी0आर0नं0-2015234813	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
15	नन्दनी कुमारी पिता-जागेश्वर साह ग्राम-गाछी टोला पो0+थाना+जिला-बेगुसराय सी0आर0नं0-2017185174	कैंसर रोग	₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार) स्वीकृत।
16	करुणा कान्त सिंह पिता-स्व0 यमुना राय ग्राम-कटधरवा पो0-सेमराही थाना+जिला-गोपालगंज सी0आर0नं0-2017223367	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
17	सुधा देवी पति-अरविन्द कुमार शर्मा ग्राम-पो0-फतेहपुर फुलवरीया थाना-सराय जिला-वैशाली सीआरनं0-2017838928	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
18	सीमा देवी पति-सुनील कुमार ग्राम+थाना-शाहपुर पो0-दाउदपुर जिला-पटना सीआरनं0-2017879268	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 16,55,000/-

2.

उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 16,55,000/- (सोलह लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 781321 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।

82

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.....984321...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2019(14)

पटना, दिनांक 01.12.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री नीरज कुमार प्रवक्ता जद यु0 / श्री विनय बिहारी मा0 विधायक लौरिया / श्री अशोक कुमार सिंह, मा0 स0वि0स0 / श्री अनील सिंह मा0 स0वि0स0 / सभी संबंधित मरीजों / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/12/17

निदेशक प्रमुख
31.12.17